संख्या: 1/2026/1295031/38-8-2026-26/2026

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-8 **लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त संबंधी अपने पत्र संख्या: 01/बजट/बजट मांग/2026-27 दिनांक 07 अप्रैल, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या : 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर कतिपय शर्तों के अधीन रखे जाने हेतु कार्यवाही किये जाने के अपेक्षा की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये लेखाशीर्षक/उपलेखाशीर्षक /विवरण के अनुसार कुल रू0 159012.98 (रूपए पन्द्रह अरब नब्बे करोड़ बारह लाख अटठानबे हजार मात्र) आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या: बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये प्राविधान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा उक्त कार्यालय-ज्ञाप में उल्लिखित शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त लेखाशीर्षक के मानक मद सं0-14 ''मोटर गाड़ियों का क्रय'' के अन्तर्गत बजट प्रावधान से संबंधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर पृथक से निर्गत की जाएंगी। उक्त स्वीकृति हेतु सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार परीक्षण कर संगत प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखाशीर्षक/मानक इकाइयों के नामें डाली जायेंगी।

(4) वित्तीय वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समर्पित कर दी जायेगी।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:- 1/2026/1295031 (1)/38-8-2026 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. उप सचिव/बजट अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर आयुक्त (वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या: /38-8-2026 दिनांक अप्रैल, 2026 का संलग्नक

(क) लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त(मुख्यालय)		
		(धनराशि : लाख रूपये में)
क्रम संख्या	मद संख्या एवं मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	01-वेतन	2200.00
2	03-मंहगाई भत्ता	1430.00
3	04-यात्रा व्यय	7.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00
5	06-अन्य भत्ते	0.78
6	07-मानदेय	1.00
7	08-कार्यालय व्यय	30.00
8	09-विद्युत देय	3433.00
9	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
11	13-टेलीफोन पर व्यय	4.00
12	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75.00
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00
14	18-प्रकाशन	1.00
15	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.01
16	29-अनुरक्षण	5.00
17	42-अन्य व्यय	15.00
18	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
19	45-अवकाश यात्रा व्यय	5.00
20	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00
21	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00
22	49-चिकित्सा व्यय	90.00
23	51-वर्दी व्यय	1.00
24	55-मकान किराया भत्ता	155.00
25	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00
	योग (मतदेय)	**7489.79**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन		
04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय		
		(धनराशि लाख रुपये में)
क्रम सं0	**मद संख्या एवं मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	**2**	**3**
1	01-वेतन	1350.00
2	03-मंहगाई भत्ता	877.50
3	04-यात्रा व्यय	10.51
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	14.72
5	06-अन्य भत्ते	1.51
6	08-कार्यालय व्यय	3.00
7	10-जलकर / जल प्रभार	1.13
8	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
10	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00
11	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00
12	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	7.47
13	29-अनुरक्षण	2.00
14	42-अन्य व्यय	2.00
15	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.00
16	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00
17	49-चिकित्सा व्यय	108.25
18	51-वर्दी व्यय	0.50
19	55-मकान किराया भत्ता	79.75
20	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.00
	योग (मतदेय)	**2491.34**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास		
06-संग्रहीत जिला कार्यालय		
		(धनराशि लाख रुपये में)
क्रम सं0	**मद संख्या एवं मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	**2**	**3**
1	01-वेतन	15533.95
2	03-मंहगाई भत्ता	10097.07
3	04-यात्रा व्यय	47.99
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50.08
5	06-अन्य भत्ते	52.86
6	08-कार्यालय व्यय	45.00
7	10-जलकर / जल प्रभार	197.07
8	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40.00
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
10	13-टेलीफोन पर व्यय	19.40
11	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
12	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12.43
13	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	219.10
14	18-प्रकाशन	0.10
15	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.15
16	29-अनुरक्षण	200.00
17	42-अन्य व्यय	2.45
18	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.73
19	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50
20	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	157.46
47	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	15.00
49	49-चिकित्सा व्यय	600.00
51	51-वर्दी व्यय	6.00
55	55-मकान किराया भत्ता	668.14
58	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00
	कुल योगः-	**28031.48**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ) लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास		
03- मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)		
		(धनराशि लाख रुपये में)
क्रम सं0	**मद संख्या एवं मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	**2**	**3**
1	01-वेतन	68610.72
2	03-मंहगाई भत्ता	44596.97
3	04-यात्रा व्यय	167.40
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	35.26
5	06-अन्य भत्ते	214.94
6	08-कार्यालय व्यय	40.00
7	10-जलकर/ जल प्रभार	24.60
8	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20.00
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
10	13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
11	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	140.00
12	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11.34
13	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	66.84
14	29-अनुरक्षण	3000.00
15	42-अन्य व्यय	1.20
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.03
17	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	218.89
18	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00
19	49-चिकित्सा व्यय	2000.00
20	51-वर्दी व्यय	10.00
21	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5.45
22	55-मकान किराया भत्ता	1794.73
23	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00
	कुल योगः-	**121000.37**

कुल महायोग रू0 लाख में (क) **7489.79** + (ख) **2491.34** + (ग)**28031.48** + (घ) **121000.37** = **159012.98** (रूपए पन्द्रह अरब नब्बे करोड़ बारह लाख अटठानबे हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।